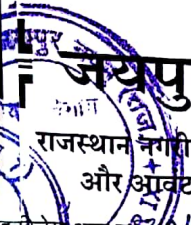




D-983
05/10/19



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आबंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

श्री. राजेश कुमार सिंह (जिनके नाम पर भूमि का पट्टा विलेख आज 05/10/19 के माह 10 के दिनांक पर जयपुर विकास प्राधिकरण/ जयपुर नगर निकाय द्वारा जारी किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री. रविंद्र प्रताप सिंह (जिनके नाम पर भूमि का पट्टा विलेख आज 05/10/19 के माह 10 के दिनांक पर जयपुर विकास प्राधिकरण/ जयपुर नगर निकाय द्वारा जारी किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निवाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निषादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निषादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह जमा भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना आवासीय एकात्मिक विकास राजस्व ग्राम गिरदारीपुरा के खसरा/भूखण्ड 36 क्षेत्रफल 145.16/19 के स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में आधिकारिक रूप से वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिस पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्रों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात:-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 5637.19 अंके 5637.19 मात्र पेशगी अदा करेगा, किन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारिय नगरीय निर्धारक (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- पट्टेदार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत अन्य स्थान पर नियमन दर Nil रुपये प्रति वर्गगज से कुल नियमन राशि 0 रुपये देय होती है जो चालान नं. 5637.19 दिनांक 05/10/19 से जमा है। इसका 2.5 प्रतिशत की दर से शहरी जमाबन्दी देय है। आदेश क्रमांक : एफ-9(15) यू.डी./3/2001 दिनांक 15.1.2002 से 8 वर्षीय लीज राशि 2819.402 रुपये होती है, जो चालान नं. 5637.19 दिनांक 05/10/19 से जमा है।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बड़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे। उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकायको आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी : परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आबंटन या पट्टा विलेख के निषादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आबंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आबंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकास में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
- इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/ एच.डी.एफ.सी अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

उपायुक्त (जोन-7,
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर (कृ.प.उ.)

परिशिष्ट

कस्बे का नाम: जयपुर
 राजस्व ग्राम: मिहरीपुरा
 खसरा नम्बर: आवसीय प्लॉट नं०
 योजना का नाम: कोई हो
 विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्ग गज/मीटर: 30 एकर 38
145.16.17 न.मी.

पूर्व.....
 पश्चिम.....
 सीमा उत्तर.....
 दक्षिण.....
 मानचित्र संलग्न है।



मुखण्ड की संख्या यदि.....

नोट:- इस मुखण्ड की शहरी जमाबन्दी को जोड़कर पंजीकृत मूल्य राशि रु. 1,49,97,408/- होती है। अतएव स्टाम्प राशि रु. 7,04,900/- के नं. 145.16.17 के कुल संख्या 141 बहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।



जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से

जयपुर 20 17 के माह 10 के 05 वें दिन

श्री रा. सत्यप्रसाद कटका (RAS)

ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये-

उपायुक्त (जोन-7)

जयपुर विकास प्राधिकरण-प्रथम पक्ष
 जयपुर
 (सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

1. नाम.....
 पुत्र.....
 व्यवसाय.....
 निवास स्थान.....

15. Disha
 साक्षी

2. नाम.....
 पुत्र.....
 व्यवसाय.....
 निवास स्थान.....

21mm
 साक्षी

आज 20/11/17 सन् 20 17 के माह 10
 के 05 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त
 श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह पुत्र श्री. राज. पहिर
 लीजधारक द्वारा कार्यालय जयपुर नगर, सांगानेर, जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

21mm
 लीजधारक-द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम.....
 पुत्र.....
 व्यवसाय.....
 निवास स्थान.....

21mm
 साक्षी

2. नाम.....
 पुत्र.....
 व्यवसाय.....
 निवास स्थान.....

21mm
 साक्षी



**SITE PLAN OF CHIEF MINISTER JAN AWAS YOJANA MODEL-3A
IN KHASRA NO. 30 & 36 IN VILLAGE-GIRDHARIPURA, TEH.JAIPUR.**

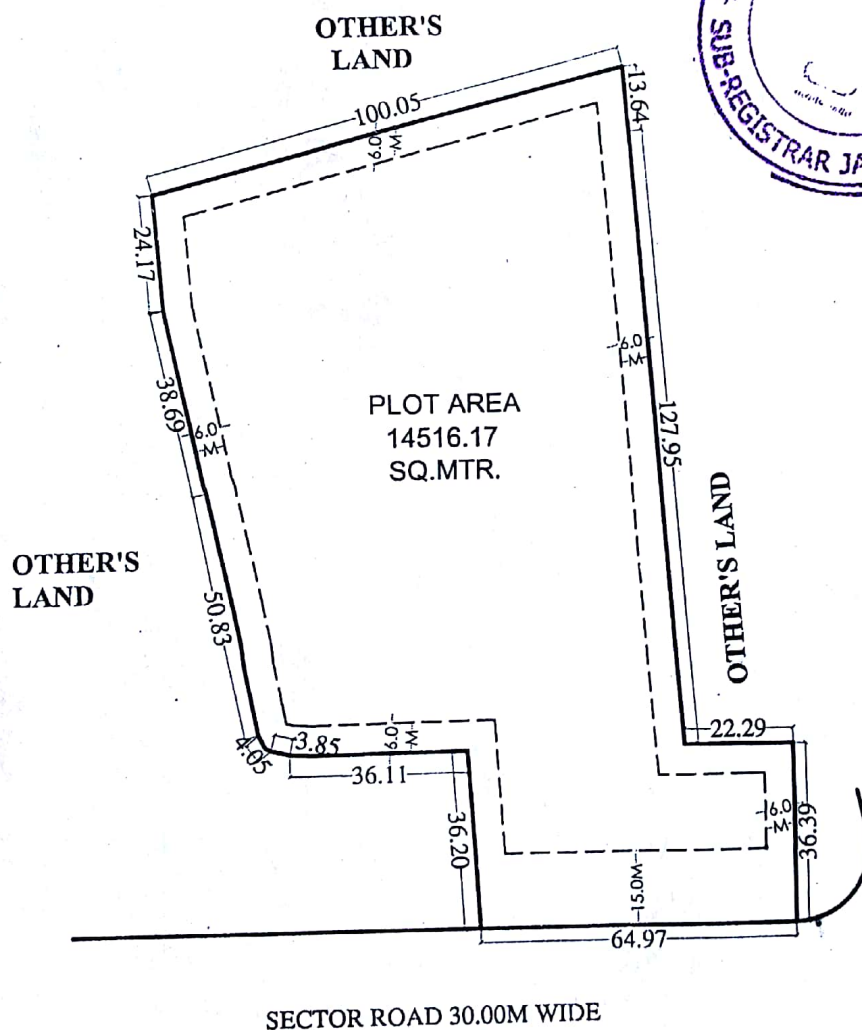
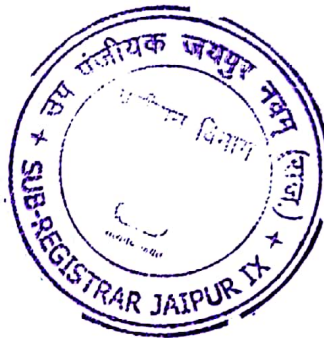
TOTAL AREA :- 15159.43 SQ. MTR.

AREA IN SURRENDERD 30 MTR. SECTOR ROAD-643.26 SQ.MTR.

NET PLOT AREA -14516.17 SQ.MTR.

PARAMETERS- AS PER CHIEF MINISTER JAN AWAS YOJANA 2015

SCALE -1CM=15M



**SITE ENGINEER
ZONE - 7**

**A.T.P.
ZONE - 7**

**DY. COMMISSIONER
ZONE - 7**

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR.

Registration Endorsement

आज दिनांक 06/10/2017 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 55 में
पृष्ठ संख्या 78 क्रम संख्या 201703182104899 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 218 के
पृष्ठ संख्या 424 से 433 पर चस्पा किया गया।

201701182005577

Lease deed u/s 90A of RLR in favor of Khatedaar (Male)

उप पंजीयक JALPUR-IX
उप पंजीबद्ध
जयपुर नवम्

